N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

# FIRST INFORMATION REPORT
## Under Section 173 B.N.S.S.

## (प्रथम सूचना रिपोर्ट )
## अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0311 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 21/11/2025 10:29 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 11/11/2025 **Date To (दिनांक तक):** 19/11/2025

   **Time Period (समय अवधि):** पहर **Time From (समय से):** 12:30 बजे **Time To (समय तक):** 15:53 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 21/11/2025 **Time (समय):** 10:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 21/11/2025 10:29:35 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 5 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** POLICE THANA GANDHINAGAR, AYUKTALIYA JAIPUR EAST

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   **Name of P.S (थाना का नाम):** **District(State) (जिला (राज्य) ):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** DEVI SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** PADAM SINGH RAJPUROHIT

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1985 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

**Date of Issue (जारी करने की तिथि):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|
| | | |

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | 6, MOTINAGAR GURJAR KI THADI, NEW SANGANER ROAD JAIPUR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | 6, MOTINAGAR GURJAR KI THADI, NEW SANGANER ROAD JAIPUR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA |

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

**Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):**

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAJKUMARI | | पति:VIJAY KUMAR | 1. 201,BRAJPURI AIRPORT AVM 7 NO. CHAURAHA KE PASS,JAGTPURA JAIPUR,PRATAP NAGAR(JAIPUR CITY (EAST)),JAIPUR CITY |

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 1,25,000.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):** 1,25,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, If necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

प्रकरण के हालात इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 11.11.2025 को श्री ज्ञान प्रकाश नवल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय, जयपुर ने मन् पुलिस निरीक्षक नाथूलाल को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर पूर्व से सामने बैठे हुए व्यक्ति का परिवादी श्री देवीसिंह के रूप में परिचय करवाते हुये उसके द्वारा पेश हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पर मन पुलिस निरीक्षक के नाम पृष्ठांकित करते हुये नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सुपुर्द किया। तत्पश्चात मन पुलिस निरीक्षक परिवादी व उसके द्वारा पेश किये गये प्रार्थना-पत्र को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया तथा अपना परिचय देकर परिवादी से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम देवीसिंह पुत्र पदमसिंह राजपुरोहित उम्र 40 साल, निवासी 6 मोतीनगर, गुर्जर की थड़ी, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर बताया। परिवादी ने प्रार्थना-पत्र में अंकित किया कि "सेवामें श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय विषय- रिश्वत मांगने पर कार्यवाही करवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मैंने घड़सीराम से प्लोट सं. 41ए चम्पानगर गुर्जर की थड़ी जयपुर को खरीदा था परन्तु रजिस्ट्री नही होने के कारण आपसी विवाद हो गया, सौदा कैंसिल हो गया। उसके बाद उक्त प्लॉट की एवज में दिये गये पैसो की चैक अनादरण का केस कोर्ट में विचाराधिन है। घड़सीराम व धुड़ाराम ने उक्त प्लॉट राजेश मील को बेच दिया, राजेश मील ने मेरे खिलाफ मुकदमा नं. 380/24 धारा 420, 406, 467, 468, 471 आईपीसी में दर्ज करवाया था। मैने उक्त प्लॉट का कब्जा राजेश मील को दे दिया परन्तु हमारा मुकदमा थाना गांधीनगर में महिला सब इन्पेक्टर जिसका मैं नाम नही जानता के पास पैण्डिग है। सब इन्सपेक्टर मैडम ने फोन कर थाने पर बुलाया। गांधी नगर थाने और कहा कि आप थाने पर आओ, बातें करते है। ता0 07.11.2025 को मैं थाने पर जाकर मैडम से मिला तो मैडम ने कहा कि उक्त केस में एफआर लगवानी है तो आपको चैनल से आना पड़ेगा। उसके बाद मैडम ने लिखकर पैसे लेने सीआई, डीप्टी, एडिशनल एसपी व मैं लिखा और कहा कि आप अपने हिसाब से मुझे पैसे दे देना। मैं इनको रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं। कृपया कार्यवाही करने का कष्ट करें। दि0 11.11.2025, हस्ताक्षर देवीसिंह प्रार्थी देवीसिंह पुत्र पदमसिंह राजपुरोहित उम्र 40 साल, निवासी 6 मोती नगर, गुर्जर की थड़ी, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर, मो.नं.-[redacted]उपरोक्त प्रार्थना-पत्र का अवलोकन कर परिवादी से दरियाफ्त किया गया तो उसने बताया कि मैने घड़सीराम नाम के व्यक्ति से गुर्जर की थड़ी में 7 लाख रूपये में एक प्लॉट खरीद किया था जिसकी घड़सीराम ने रजिस्ट्री नही करवाई तो उक्त प्लॉट खरीद का सौदा कैन्सिल कर घड़सीराम ने उक्त प्लॉट के पैटे दिये गये रूपयो का चैक घड़सीराम ने मुझे दे दिया जो चैक बाउन्स हो गया। जिसका चैक बाउन्स का केस अभी कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद घड़सीराम ने उक्त प्लॉट राजेश मील नाम के व्यक्ति को बैच दिया। घड़सीराम ने मेरे खिलाफ पुलिस थाना बजाज नगर में एक मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें एफआर लग गई तथा राजेश मील ने मेरे खिलाफ पुलिस थाना गांधीनगर जयपुर में फर्जी दस्तावेजात तैयार करने संबंधी मुकदमा नं. 380/24 दर्ज करवाया था जिसकी जांच सब इन्पेक्टर मैडम कर रही है जिसमें मैडम एफआर लगाने की एवज में मेरे से रूपयों की डिमाण्ड कर रही है। मैडम ने मुझे दिनांक 7.11.25 को गांधी नगर थाना पर बुलाकर कहा कि एफआर आदेश लेने के लिए थाना इन्चार्ज साब, डिप्टी साब को भी रूपये देने पड़ेगे। सब इन्पेक्टर मैडम मुझ पर रूपये देने के लिए दबाव बनाकर परेशान कर रही है। मैं उसको रिश्वत के रूप में रूपये नही देना चाहता हू तथा उसको रंग हाथों पकड़वाना चाहता हूं। परिवादी ने उक्त प्रार्थना-पत्र के साथ अपना पहचान पत्र व उसके विरूद्ध पु0था0 गांधीनगर, जयपुर पर दर्ज एफआईआर नं. 380/2024 की प्रति प्रस्तुत की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाता है। अतः रिश्वत राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने पर परिवादी को एसीबी द्वारा की जाने वाली रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाने हेतु कहा गया तो परिवादी द्वारा बताया गया कि मुझे आज व कल कोई जरूरी काम है तथा एक दो दिन बाद रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवा सकता हूँ। जिस पर कार्यालय के श्री प्रदीप कुमार कानि. 245 को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र के बारे में बताकर जब भी परिवादी कार्यालय में आये तब रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान होने वाली वार्ताओं को रिकॉर्ड करने हेतु श्री प्रदीप कुमार कानि. को कार्यालय के मालखाना से एक विभागीय वॉईस रिकॉर्डर व एक नया मैमोरी कार्ड सेनडिस्क 32जीबी को निकालकर उनका खाली होना

सुनिश्चत कर मैमोरी कार्ड को वॉइस रिकॉर्डर में डालकर परिवादी को उक्त वाईस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की प्रक्रिया समझाई जाकर वॉइस रिकॉर्डर को पुनः कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखवाया गया, तदुपरान्त परिवादी देवीसिंह को कार्यवाही की गोपीनयता बनाये रखने बाबत आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय से रूख्सत किया गया। दिनांक 13.11.2025 को परिवादी श्री देवीसिंह ने चौकी हाजा पर उपस्थित होकर बताया कि आज मैं रिश्वत मांग की कार्यवाही करवा सकता हूं जिस पर श्री प्रदीप कुमार कानि. को कार्यालय की अलमारी में रखा विभागीय वॉइस रिकॉर्डर लेकर परिवादी से साथ जाकर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाने के निर्देश दिए गये। उक्त कार्यवाही पर जाने से पहले संदिग्ध अधिकारी की उपस्थिती के बारे में जानकारी हेतु समय 11.22 एएम पर परिवादी के मोबाईल फोन नं. [redacted] से संदिग्ध महिला सब इन्पेक्टर के मो.नं. [redacted] पर सिम्पल वॉइस कॉल करवाया गया तो सब इन्पैक्टर ने बताया कि आपको कल बुलाया था तो परिवादी ने बताया कि कल कोई काम हो गया था जिस पर संदिग्ध अधिकारी ने इन्चार्ज से पूछकर कुछ समय बाद बताने के लिए कहा। कुछ समय पश्चात पुनः संदिग्ध अधिकारी को परिवादी से सिम्पल वॉइस कॉल करवाई गई तो संदिग्ध अधिकारी द्वारा कॉल रिसिव नही किया गया। उक्त कॉल्स को विभागीय वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। तदुपरान्त परिवादी देवीसिंह को आवश्यक हिदायत कर चौकी हाजा से रूख्सत किया गया। विभागीय वॉइस रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय अलमारी में रखवाया गया। आईन्दा परिवादी के कार्यालय हाजा में उपस्थित होने पर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही की जायेगी। दिनांक 15.11.2025 को मन् टीएलओ नाथुलाल पु.नि. चौकी हाजा पर उपस्थित हुआ, दर्ज रहे कि दिनांक 14.11.2025 को परिवादी ने मन् टीएलओ को अवगत कराया कि सब इन्सपेक्टर मैडम व्हाट्सअप कॉल कर मुझे गांधी नगर थाना पर वार्ता करने हेतु बुला रही है, चूंकि मन् टीएलओ व श्री प्रदीप कुमार कानि. आवश्यक राजकार्य से मुख्यालय से बाहर गये हुये थे इसलिए रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कार्यालय चौकी हाजा पर उपस्थित श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 को परिवादी देवीसिंह से सम्पर्क कर संदिग्ध अधिकारी से रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवाने के निर्देश दिये गये थे, जिस पर मन् टीएलओ के आज कार्यालय हाजा में उपस्थित होने पर श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 ने मन् टीएलओ को बन्द विभागीय वॉइस रिकॉर्ड सुपुर्द कर बताया कि निर्देशानुसार रिश्वत मांग सत्यापन की अग्रीम कार्यवाही के क्रम में कार्यालय की अलमारी में से विभागीय वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त कर दिनांक 14.11.2025 को समय 12.20 पीएम पर चौकी हाजा पर उपस्थित हुये परिवादी देवीसिंह राजपुरोहित के साथ समय 12.45 पीएम पर उसकी निजी मोटरसाईकिल पर चौकी हाजा से रवाना होकर पुलिस थाना गांधी नगर, जयपुर (पूर्व), जयपुर से कुछ दूरी पहले पहुंचा तथा समय 01.06 पीएम पर गोपनीय रूप से परिवादी को वॉइस रिकॉर्डर चालू कर संदिग्ध अधिकारी से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताएं करने हेतु पुलिस थाना गांधी नगर, जयपुर के अन्दर भेजा गया तथा मन् कानि. पुलिस थाना के आस-पास ही अपनी पहचान छुपाते हुये मुकिम रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी अपनी मोटरसाईकिल से मन् कानि. के पास आकर वॉइस रिकॉर्डर सुपुर्द किया, जिसे बन्द कर मैने अपने पास रखा व परिवादी से पूछने पर बताया कि संदिग्ध टू-स्टार महिला थानेदार ने मेरे से मेरे प्रकरण में एफआर लगाने की एवज में हाथ से ईशारा कर दो लाख रूपये की रिश्वत की मांग करी तो मैने 20 हजार या दो लाख कहा तो उसने 2 लाख रूपये लेने की मन्शा प्रकट की। तदुपरान्त अन्य वार्ताएं करते हुये मैने रिश्वत की राशि कम करके एक लाख रूपये ही देने के लिए कहा तो सब इन्सपेक्टर मैडम ने एक लाख से बढ़ाकर देने के लिए कहा जिस पर लास्ट में मैने सवा लाख रूपये रिश्वत के रूप में देने की कहने पर मैडम ने अपनी सहमती दी है। मैडम ने सोमवार को रिश्वत राशि व हाईकार्ट पिटीशन की कॉपी व कागजात लेकर थाना पर आने के लिए कहा है, इत्यादि वार्ताएं होनी बताई जो विभागीय वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है। कानि. ने मन् पु0नि0 को बताया कि परिवादी को रिश्वत के रूप में संदिग्ध अधिकारी को दिये जाने वाले रूपयो की व्यवस्था कर सोमवार को कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कह दिया है। कानि. द्वारा मन् पु.नि. को सुपुर्द वॉइस रिकॉर्डर को चलाकर सरसरी तौर पर सुना तो कानि. द्वारा बताई गई बातों की ताईद हुई। इस प्रकार वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ताओ को सुनने व समझने से पुलिस थाना गांधी नगर में पदस्थापित महिला सब इन्सपैक्टर द्वारा परिवादी से उसके प्रकरण में एफआर लगाने की एवज में स्वयं के लिए व इन्चार्ज थाना के लिए रिश्वत के रूप में दो लाख रूपये मांग कर सवा एक लाख रूपये में सौदा तय होने के तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकट हुये है। हालात उच्चाधिकारियों से निवेदन किये जाकर दिनांक 17.11.2025 को ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। वाईस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं की निगरानी में सुरक्षार्थ कार्यालय अलमारी में रखा गया। गोपनीय कार्यवाही की विश्वसनियता को ध्यान में रखते हुये एचएम श्री ब्रहमप्रकाश हैड कानि. को दो स्वतन्त्र गवाहान को पाबन्ध करवाने के निर्देश दिए गये। दिनांक 17.11.2025 को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा विभागीय वॉइस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय अलमारी में से निकालकर रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान उपयोग में लिए गये मैमोरी कार्ड सेनडिस्क 32 जीबी को वॉइस रिकॉर्डर में से निकालकर पृथक से सुरक्षार्थ कार्यालय अलमारी में रखा गया तथा वॉइस रिकॉर्डर को पृथक से पुनः अलमारी में रखा गया। परिवादी श्री देवीसिंह के कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर बताया कि मेरे पास रिश्वत में दिये जाने वाले 1,25,000/- रूपयों की व्यवस्था हो गई है जो मैं साथ लेकर आया हूं जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत कर कार्यालय में ही उपस्थित रहने की हिदायत की गई। कार्यालय में पूर्व से पाबन्ध शुदा दोनो स्वतन्त्र गवाह उपस्थित आये, जिनको मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं का परिचय देकर नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम

चन्द्रप्रताप सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह, उम्र 35 साल निवासी डबलाना हाउस, कागदी देवरा, बुंदी हाल म.नं. ए-872, मंगलम ग्रेण्ड सिटी, महापुरा भांकरोटा जयपुर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समिति, मुख्यालय, 22 गोदाम जयपुर मो.नं.-[redacted]व दूसरे ने अपना नाम राकेश कुमार मौर्य पुत्र श्री पूरनचन्द मौर्य, उम्र 32 साल निवासी सी-2, बालनगर, करतारपुरा जयपुर हाल निवासी म.नं. 70, विनायक विहार, लूणियावास, गोनेर रोड़ जयपुर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समिति, मुख्यालय, 22 गोदाम जयपुर मो.न.[redacted]बताया। दोनो स्वतन्त्र गवाहान को चौकी हाजा द्वारा की जाने वाली गोपनीय कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान के रूप में उपस्थित रहने की सहमती चाही तो दोनो गवाहान ने मौखिक रूप से अपनी सहमती दी गई। चूंकि दिनांक 14.11.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान संदिग्ध अधिकारी उप निरीक्षक ने 17.11.2025 को परिवादी को थाना पर आने से पूर्व कॉल करने हेतु कहा था अतः परिवादी श्री देवीसिंह के मोबाईल नं[redacted]से संदिग्ध उप निरीक्षक के मोबाईल नं. [redacted]पर सिम्पल वॉइस कॉल करवाया गया तो संदिग्ध ने फोन रिसिव नही किया। इसके कुछ समय पश्चात पुनः परिवादी के मोबाईल से संदिग्ध उप निरीक्षक के मोबाईल पर फोन पर व्हाट्सअप कॉल करवाया गया तो संदिग्ध उप निरीक्षक ने आज किसी काम से बाहर होना तथा दो दिन पश्चात थाना पर आने व परिवादी को फ्री करने के लिए कहा। उक्त वार्ताओं को विभागीय वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। चूंकि आज ट्रेप कार्यवाही संभव नही है, अतः परिवादी श्री देवीसिंह को आवश्यक हिदायत कर कार्यालय से रूख्सत किया गया तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान को भी आवश्यक हिदायत कर कार्यालय से रूख्सत किया गया। दिनांक 19.11.2025 को समस्त स्टाफ, परिवादी, दोनो स्वतन्त्र गवाहान के कार्यालय में उपस्थित होने पर अग्रीम कार्यवाही के क्रम में संदिग्ध अधिकारी उप निरीक्षक ने 19.11.2025 को परिवादी को थाना पर आने के लिए कहा था अतः परिवादी श्री देवीसिंह के मोबाईल से संदिग्ध उप निरीक्षक के मोबाईल पर व्हाट्सअप कॉल करवाया गया तो संदिग्ध पुलिस उप निरीक्षक द्वारा परिवादी को आज ही थाना पर बुलाया जा रहा है, जिस पर अग्रीम कार्यवाही के क्रम में परिवादी तथा दोने० स्वतन्त्र गवाहान का परिचय करवाया जाकर प्रार्थना-पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये। समय 12.05 पीएम पर कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री देवीसिंह को संदिग्ध उप निरीक्षक को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा गया, जिस पर परिवादी श्री देवीसिंह ने अपने पास से 500-500 रूपये के 250 नोट प्रचलित भारतीय मुद्रा के कुल राशि 1,25,000/-रूपये निकालकर मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये, सभी नोटों का विवरण/नम्बर फर्द में अंकित किया गया। उपरोक्त सभी 500-500 रूपये के प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोट कुल 250 नोट राशि 1,25,000 /-रूपये पर फिनोफ्थीलन पाउडर लगवाने हेतु दोनों स्वतन्त्र गवाहन व परिवादी देवीसिंह के समक्ष कार्यालय के श्री दयाचन्द हैड कानि. 07 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर चतुर्थ, जयपुर से कार्यालय हाजा की आलमारी में से फिनोफ्थीलन पाउडर का डिब्बा निकलवाकर एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर नियमानुसार उक्त सभी नोटों पर लगवाया गया तथा परिवादी देवीसिंह की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री राकेश कुमार मौर्य से लिवाई जाकर उसके पास मोबाईल तथा संदिग्ध उप निरीक्षक को दिये जाने वाले दस्तावेजात के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त नोट सीधे ही श्री दयाचन्द हैड कानि. से परिवादी श्री देवीसिंह की पहनी हुई पेंट की दांहिनी जैब में रखवाये जाकर हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये व संदिग्ध उप निरीक्षक द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट जेब से निकालकर उसे रिश्वत के रूप में देवें तथा संदिग्ध उप निरीक्षक द्वारा रिश्वत लेने के पश्चात् अपने चेहरे पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मन् पु0नि0 के मोबाईल नम्बर[redacted]र मिस कॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करे एवं रिश्वत राशि को कहां रखता है यह भी ध्यान रखें एवं साथ ही स्वतन्त्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखने व दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री देवीसिंह को फिनोल्पथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाने के लिए नये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया घोल का रंग रंगहीन रहा, उसके बाद श्री दयाचन्द हैड कानि. जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था के हाथों की अंगुलियों को उक्त सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसके बारे मे उपस्थित गवाहान व परिवादी को समझाया गया कि जो भी इन पाउडर लगे नोटों को हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथ इस प्रक्रिया के अनुसार धुलवाने से पानी का रंग गुलाबी हो जावेगा। तत्पश्चात श्री दयाचन्द हैड कानि. से गुलाबी घोल को बाहर फिकवाकर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास तथा उस अखबार को जिस पर रखकर नोटों पर फिनोलपथलीन पाउडर लगवाया था को जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्री दयाचन्द हैड कानि. 07 से फिनोल्पथलीन पाउडर के डिब्बे को वापस कार्यालय की आलमारी में रखवाकर श्री दयाचन्द हैड कानि. के हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सदस्यों व गवाहान की एक दूसरे से तलाशी लिवाये जाने पर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु या दस्तावेज आदि नहीं छोडे० गये। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली कांच की शीशीयों को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये जाकर सुखने के उपरान्त एवं नये डिस्पोजल प्लास्टिक के गिलास एवं चम्मच ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। रिश्वत राशि लेन-देन के समय

संदिग्ध उप निरीक्षक से होने वाली बातचीत को रिकॉर्ड करने के लिए विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मय दिनांक 17.11.2025 से उपयोग में लिया जा रहे मैमोरी कार्ड SanDisk 32GB श्री सुभाष चन्द्र कानि. नं0 592 को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त हस्ब कायदा मुर्तिब की गई जिस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 12.55 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक नाथूलाल पुलिस निरीक्षक, श्री हरिभजन स0उ0नि0, श्री ब्रहमप्रकाश हैड कानि0 नं0 99, श्रीमती पिंकी कंवर म0 कानि0 नं0 11, श्री प्रवीण कुमार कानि0 222, श्री कपिल कुमार कानि. 377 एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान को साथ लेकर जरिये सरकारी वाहनों नं. आरजे 14 यूएल 5823 कानि. चालक नं. 513 सुरेन्द्र सिंह, नं. आरजे 14 यूई 0813 कानि. चालक नं. 636 श्री रोहिताश्व चौधरी के मय चालक मय लेपटॉप, प्रिन्टर, विडियो कैमरा, ट्रेप बॉक्स व अन्य आवश्यक सामग्री के ट्रेप कार्यवाही में रवाना हुए साथ ही परिवादी श्री देवीसिंह को उसकी निजी मोटरसाईकिल से रवाना कर उसके पीछे पीछे श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 को निजी मोटरसाईकिल से आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया तथा उनके पीछे-पीछे वास्ते करने गोपनीय कार्यवाही हेतु एसीबी कार्यालय से रवाना हुये। नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री दयाचन्द हैड कानि. 07 को ब्यूरो कार्यालय में ही छोड़ा गया। समय 1.05 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक मय समस्त एसीबी टीम, दोनो स्वतन्त्र गवाहान के पुलिस थाना गांधी नगर, आयुक्तालय जयपुर पूर्व के आस-पास पहुंचे तथा सरकारी वाहनों को सड़क किनारे खडा किया गया। परिवादी देवीसिंह व श्री सुभाष चन्द्र कानि. भी थाना के आस-पास पहुंच चुके है। समय करीब 1.10 पीएम पर श्री सुभाष चन्द्र कानि. द्वारा परिवादी को विभागीय वॉइस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर उसकी मोटरसाईकिल से पुलिस थाना गांधी नगर के अन्दर रिश्वत लेन-देन हेतु रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय समस्त एसीबी टीम परिवादी के निर्धारित ईशारा के इन्तजार में अपनी विभागीय पहचान छुपाते हुये ट्रेप जाल बिछाकर पुलिस थाना गांधी नगर, आयुक्तालय जयपुर पूर्व के आस-पास ही मुकिम रहे। समय करीब 3.53 पीएम पर परिवादी ने पुलिस थाना गांधी नगर के मैन गेट के बाहर निकलकर अपने चेहरे पर हाथ फेरकर निर्धारित ईशारा किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय एसीबी टीम एवं स्वतंत्र गवाहान के पुलिस थाना गांधी नगर के गेट पर पहुंचे जहां पर परिवादी श्री देवीसिंह से मन् टीएलओ द्वारा वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा तथा मन् टीएलओ मय टीम को परिवादी को साथ लेकर पुलिस थाना गांधी नगर में प्रवेश किया जहां परिवादी आगे-आगे चलकर थाना परिसर में स्थित महिला उप निरीक्षक के कार्यालय कक्ष के आगे लेकर गया। उक्त कक्ष के बाहर महिला एवं बाल डेस्क को पोस्टर लगा हुआ है। कार्यालय कक्ष में एक महिला पुलिस उप निरीक्षक बावर्दी अपनी कुर्सी पर बैठी हुई मिली जिसकी वर्दी पर राजकुमारी की नेम प्लेट लगी हुई थी। परिवादी ने उक्त महिला पुलिस उप निरीक्षक की ओर ईशारा कर बताया कि ये ही राजकुमारी जी, एसआई है जिन्होने मेरे से अभी अभी 1,25,000/- रूपये अपने कक्ष की दीवार में बनी खुली अलमारी की ऊपरी दराज में रखी फाईलो में बीच में रखवाये है। जिस पर मन् टीएलओ द्वारा अपना व हमराह जाप्ता व हमराह महिला कानि. श्रीमती पिंकी कंवर का परिचय देते हुये महिला गरीमा को ध्यान में रखते हुये हमराह महिला कानि. श्रीमती पिंकी कंवर की सहायता से श्रीमती राजकुमारी पुलिस उप निरीक्षक को डिटेन करवाकर कक्ष में रखे पंलग पर बैठाया गया तथा डिटेनशुदा संदिग्ध पुलिस उप निरीक्षक से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राजकुमारी पुत्री वीरी सिंह पत्नी विजय कुमार, उम्र 33 साल निवासी बुढवारी खुर्द, खटोटी नदबई जिला भरतपुर हाल प्लाट नं. 201, बृजपुरी, एयरपोर्ट व 7 नम्बर चौराहा के पास, जगतपुरा पुलिस थाना प्रतापनगर जयपुर हाल पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस थाना गांधी नगर आयुक्तालय जयपुर पूर्व बताया। मन् टीएलओ द्वारा संदिग्ध श्रीमती राजकुमारी पुलिस उप निरीक्षक से परिवादी से लिये गये रूपये किस के लिए लेने के बारे में पुछा तो संदिग्ध पुलिस उप निरीक्षक ने बताया कि मैने देवीसिंह जी से कोई रूपये नही लिये है तथा आज से पहले भी मैनें इनसे कभी भी ना तो रूपयो की मांग की है और ना ही आज इनसे मैने रूपये लिए है। देवीसिंह के विरूद्ध इस थाना पर मुकदमा नं. 380/2024 दर्ज है। जिसका अनुसंधान पूर्व में श्रीमती सुमन जी पुलिस उप निरीक्षक द्वारा किया जा रहा था व वर्तमान में इस प्रकरण का अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। उक्त प्रकरण के अनुसंधान हेतु मैने देवीसिंह को आज से 7-8 दिन पहले भी मेरे पास बुलाया था जो मेरे पास आये थे तथा आज भी दिन में करीब 1-1.15 बजे मेरे पास कुछ कागजात लेकर आया था। थाना में आने के बाद मैंने इनसे प्रकरण के संबंध में पूछताछ कर इनका पूछताछ नोट तैयार किया जो प्रकरण सं. 380/2024 की पत्रावली में लगा हुआ है। मैने इनसे कोई भी रिश्वत राशि नही ली है। जिस पर कक्ष में उपस्थित परिवादी ने संदिग्ध पुलिस उप निरीक्षक की बात को काटते हुये बताया कि आज मैं इनके बुलाने पर थाना में आया था, ये अन्य कामों में काफी व्यस्त थी, इसके पश्चात इन्होने मेरे से प्रकरण में संबंध में मेरे से पूछताछ कर मेरा पूछताछ नोट बनाया व मेरे से मेरे आधार कार्ड की फोटो कॉपी ली थी तथा इन्होने मेरे पूछताछ नोट व आधार कार्ड की फोटो प्रति पर भी मेरे हस्ताक्षर करवाये थे और अभी इन्होने पुलिस थाना गांधी नगर में मेरे खिलाफ दर्ज प्रकरण में एफआर लगाने की एवज में मेरे से 1,25,000/- रूपये अपने कक्ष में बनी खुली अलमारी की ऊपरी दराज में रखी फाईलों के बीच में रखवाये है, जिस पर हमराह स्वतन्त्र गवाह श्री राकेश कुमार मौर्य से परिवादी द्वारा बतायेनुसार खुली अलमारी की उपरी दराज में रखी फाईलो के मध्य में रखवाये गये रूपयो की बरामदगी हेतु तलाशी लिवाई गई तो दराज में रखी दो फाईलो के मध्य रिश्वत राशि 1,25,000/- रखे मिले, जिनको स्वतन्त्र गवाह श्री राकेश कुमार मौर्य के पास रखवाये गये। उक्त रूपयों के बारे में डिटेन शुदा पुलिस उप निरीक्षक से

पूछा गया तो उसने बताया कि मैने देवीसिंह से कोई रिश्वत के रूपये नही मांगे इन्होने जबरदस्ती ये रूपये मेरी जानकारी के बिना इन फाईलो में मध्य में रख दिये है। जिस पर उपस्थित परिवादी ने जोर देकर बताया कि राजकुमारी जी के कहने पर ही मैने ये रूपये इन फाईलो में बीच रखे है। जिस पर मन् टीएलओ द्वारा परिवादी से प्राप्त वॉइस रिकॉर्डर को चलाकर सरसरी तौर पर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताई बातों की ताईद हुई तथा रिश्वत लेनदेन के वक्त परिवादी व आरोपीया उप निरीक्षक के मध्य संदिग्ध वार्ताऐं होना पाई गई। आरोपीया श्रीमती राजकुमारी पुलिस उप निरीक्षक से उक्त वार्ताओं तथा लिए गये रिश्वत रूपयो के संबंध में पुनः पूछा गया तो उन्होने मायूस होते हुये अपनी गर्दन नीचे झूका ली। तदुपरान्त स्वतन्त्र गवाह श्री राकेश कुमार मौर्य के पास रखवाई गई रिश्वत राशि को गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के 250 नोट कुल राशि 1,25,000/-रूपये होना पाये गये। दोनो स्वतंत्र गवाहन से उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो दोनो स्वतंत्र गवाहन ने हुबहु होना पाये गये जिनका विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं. राशि नोट नम्बर

1. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245401
2. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245402
3. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245403
4. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245404
5. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245405
6. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245406
7. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245407
8. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245408
9. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245409
10. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245410
11. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245411
12. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245412
13. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245413
14. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245414
15. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245415
16. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245416
17. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245417
18. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245418
19. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245419
20. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245420
21. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245421
22. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245422
23. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245423
24. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245424
25. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245425
26. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245426
27. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245427
28. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245428
29. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245429
30. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245430
31. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245431
32. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245432
33. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245433
34. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245434
35. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245435
36. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245436
37. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245437
38. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245438

39. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245439
40. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245440
41. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245441
42. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245442
43. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245443
44. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245444
45. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245445
46. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245446
47. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245447
48. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245448
49. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245449
50. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245450
51. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245451
52. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245452
53. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245453
54. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245454
55. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245455
56. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245456
57. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245457
58. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245458
59. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245459
60. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245460
61. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245461
62. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245462
63. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245463
64. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245464
65. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245465
66. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245466
67. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245467
68. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245468
69. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245469
70. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245470
71. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245471
72. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245472
73. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245473
74. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245474
75. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245475
76. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245476
77. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245477
78. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245478
79. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245479
80. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245480
81. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245481
82. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245482
83. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245483
84. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245484
85. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245485
86. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245486

87. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245487
88. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245488
89. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245489
90. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245490
91. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245491
92. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245492
93. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245493
94. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245494
95. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245495
96. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245496
97. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245497
98. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245498
99. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245499
100. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KU 245500
101. पांच सौ रूपये का एक नोट 2KR 255989
102. पांच सौ रूपये का एक नोट 2KR 255990
103. पांच सौ रूपये का एक नोट 9LK 898992
104. पांच सौ रूपये का एक नोट 4TQ 550535
105. पांच सौ रूपये का एक नोट 5DL 750908
106. पांच सौ रूपये का एक नोट 9PR 791587
107. पांच सौ रूपये का एक नोट 1NG 763842
108. पांच सौ रूपये का एक नोट 6MU 459647
109. पांच सौ रूपये का एक नोट 1NB 732988
110. पांच सौ रूपये का एक नोट 8DP 018736
111. पांच सौ रूपये का एक नोट 2MW 906397
112. पांच सौ रूपये का एक नोट 9LS 834050
113. पांच सौ रूपये का एक नोट 3BK 174298
114. पांच सौ रूपये का एक नोट 0AH 784158
115. पांच सौ रूपये का एक नोट 7BN 928504
116. पांच सौ रूपये का एक नोट 9GQ 604029
117. पांच सौ रूपये का एक नोट 2BW 738617
118. पांच सौ रूपये का एक नोट 5QK 805761
119. पांच सौ रूपये का एक नोट 1NE 090048
120. पांच सौ रूपये का एक नोट 6KV 153667
121. पांच सौ रूपये का एक नोट 1DP 517290
122. पांच सौ रूपये का एक नोट 2QE 266414
123. पांच सौ रूपये का एक नोट 6MR 904105
124. पांच सौ रूपये का एक नोट 5LH 187530
125. पांच सौ रूपये का एक नोट 0WA 556357
126. पांच सौ रूपये का एक नोट 4VC 655410
127. पांच सौ रूपये का एक नोट 3NM 570629
128. पांच सौ रूपये का एक नोट 9RD 686400
129. पांच सौ रूपये का एक नोट 3QT 563674
130. पांच सौ रूपये का एक नोट 2DF 228726
131. पांच सौ रूपये का एक नोट 7CM 485267
132. पांच सौ रूपये का एक नोट 0EN 032229
133. पांच सौ रूपये का एक नोट 5NQ 700886
134. पांच सौ रूपये का एक नोट 4UF 009833

135. पांच सौ रूपये का एक नोट 0TK 560376
136. पांच सौ रूपये का एक नोट 0WM 037788
137. पांच सौ रूपये का एक नोट 8ST 831548
138. पांच सौ रूपये का एक नोट 1AH 206621
139. पांच सौ रूपये का एक नोट 2BT 416093
140. पांच सौ रूपये का एक नोट 0PC 050744
141. पांच सौ रूपये का एक नोट 4VM 204708
142. पांच सौ रूपये का एक नोट 3QS 531695
143. पांच सौ रूपये का एक नोट 4QU 466502
144. पांच सौ रूपये का एक नोट 3LP 361345
145. पांच सौ रूपये का एक नोट 9BK 512946
146. पांच सौ रूपये का एक नोट 2BK 728358
147. पांच सौ रूपये का एक नोट 7WT 478745
148. पांच सौ रूपये का एक नोट 9HD 587217
149. पांच सौ रूपये का एक नोट 3AT 029547
150. पांच सौ रूपये का एक नोट 4UF 759532
151. पांच सौ रूपये का एक नोट 3AE 088008
152. पांच सौ रूपये का एक नोट 7NW 051009
153. पांच सौ रूपये का एक नोट 9NS 850999
154. पांच सौ रूपये का एक नोट 1FD 350902
155. पांच सौ रूपये का एक नोट 7UE 966491
156. पांच सौ रूपये का एक नोट 8QF 001638
157. पांच सौ रूपये का एक नोट 6NR 887149
158. पांच सौ रूपये का एक नोट 2BC 347159
159. पांच सौ रूपये का एक नोट 1DN 632497
160. पांच सौ रूपये का एक नोट 0AU 537710
161. पांच सौ रूपये का एक नोट 3AF 233468
162. पांच सौ रूपये का एक नोट 9UR 364889
163. पांच सौ रूपये का एक नोट 7TS 146325
164. पांच सौ रूपये का एक नोट 5BH 091441
165. पांच सौ रूपये का एक नोट 8AS 111604
166. पांच सौ रूपये का एक नोट 2QE 858133
167. पांच सौ रूपये का एक नोट 4HT 606638
168. पांच सौ रूपये का एक नोट 0SC 722064
169. पांच सौ रूपये का एक नोट 3GK 403794
170. पांच सौ रूपये का एक नोट 7KG 554316
171. पांच सौ रूपये का एक नोट 2KW 949766
172. पांच सौ रूपये का एक नोट 8MU 798938
173. पांच सौ रूपये का एक नोट 5BU 653130
174. पांच सौ रूपये का एक नोट 9QA 721290
175. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KG 844780
176. पांच सौ रूपये का एक नोट 5WN 077796
177. पांच सौ रूपये का एक नोट 7WU 810580
178. पांच सौ रूपये का एक नोट 4FN 239476
179. पांच सौ रूपये का एक नोट 9PL 251321
180. पांच सौ रूपये का एक नोट 5VM 465157
181. पांच सौ रूपये का एक नोट 7GF 454511
182. पांच सौ रूपये का एक नोट 3UT 449995

183. पांच सौ रूपये का एक नोट 4AP 997551
184. पांच सौ रूपये का एक नोट 6FN 033516
185. पांच सौ रूपये का एक नोट 9FL 637177
186. पांच सौ रूपये का एक नोट 6WE 306299
187. पांच सौ रूपये का एक नोट 4ME 496474
188. पांच सौ रूपये का एक नोट 1QU 946581
189. पांच सौ रूपये का एक नोट 8TH 410051
190. पांच सौ रूपये का एक नोट 3DS 469416
191. पांच सौ रूपये का एक नोट 8CK 679651
192. पांच सौ रूपये का एक नोट 8CK 679655
193. पांच सौ रूपये का एक नोट 7FE 831475
194. पांच सौ रूपये का एक नोट 8FP 377384
195. पांच सौ रूपये का एक नोट 0NA 040018
196. पांच सौ रूपये का एक नोट 0AP 687385
197. पांच सौ रूपये का एक नोट 3GE 310831
198. पांच सौ रूपये का एक नोट 3WK 855388
199. पांच सौ रूपये का एक नोट 5PW 901611
200. पांच सौ रूपये का एक नोट 7EF 430030
201. पांच सौ रूपये का एक नोट 6ES 302327
202. पांच सौ रूपये का एक नोट 0HA 719488
203. पांच सौ रूपये का एक नोट 5AC 583835
204. पांच सौ रूपये का एक नोट 2KW 135514
205. पांच सौ रूपये का एक नोट 9VP 610456
206. पांच सौ रूपये का एक नोट 1PQ 074647
207. पांच सौ रूपये का एक नोट 6TL 981700
208. पांच सौ रूपये का एक नोट 1FQ 574394
209. पांच सौ रूपये का एक नोट 9PG 413102
210. पांच सौ रूपये का एक नोट 5AP 231670
211. पांच सौ रूपये का एक नोट 6KN 718025
212. पांच सौ रूपये का एक नोट 6GP 543123
213. पांच सौ रूपये का एक नोट 9TD 232603
214. पांच सौ रूपये का एक नोट 6BW 738267
215. पांच सौ रूपये का एक नोट 8GC 432206
216. पांच सौ रूपये का एक नोट 8AP 704573
217. पांच सौ रूपये का एक नोट 6ND 043445
218. पांच सौ रूपये का एक नोट 9AU 930083
219. पांच सौ रूपये का एक नोट 4MM 879580
220. पांच सौ रूपये का एक नोट 5QG 602611
221. पांच सौ रूपये का एक नोट 8AU 628968
222. पांच सौ रूपये का एक नोट 8CK 747076
223. पांच सौ रूपये का एक नोट 5GR 183580
224. पांच सौ रूपये का एक नोट 6MH 053768
225. पांच सौ रूपये का एक नोट 4ES 243532
226. पांच सौ रूपये का एक नोट 6GQ 216153
227. पांच सौ रूपये का एक नोट 1AL 346762
228. पांच सौ रूपये का एक नोट 9KC 609180
229. पांच सौ रूपये का एक नोट 7LU 325057
230. पांच सौ रूपये का एक नोट 2BC 952299

231. पांच सौ रूपये का एक नोट 4HA689430
232. पांच सौ रूपये का एक नोट 6RB 308096
233. पांच सौ रूपये का एक नोट 8RC 575606
234. पांच सौ रूपये का एक नोट 4DB 530004
235. पांच सौ रूपये का एक नोट 3TW 055651
236. पांच सौ रूपये का एक नोट 9QT 562517
237. पांच सौ रूपये का एक नोट 9AC 629384
238. पांच सौ रूपये का एक नोट 3MU 750591
239. पांच सौ रूपये का एक नोट 2CA 873796
240. पांच सौ रूपये का एक नोट 7FQ 855819
241. पांच सौ रूपये का एक नोट 7FQ 855820
242. पांच सौ रूपये का एक नोट 7FQ 855821
243. पांच सौ रूपये का एक नोट 2LN 943892
244. पांच सौ रूपये का एक नोट 8MB 144123
245. पांच सौ रूपये का एक नोट 5FD 707051
246. पांच सौ रूपये का एक नोट 0RU 932984
247. पांच सौ रूपये का एक नोट 5PR 160245
248. पांच सौ रूपये का एक नोट 0PF 152001
249. पांच सौ रूपये का एक नोट 8MF 552759
250. पांच सौ रूपये का एक नोट 4KG 739095

उक्त रिश्वती राशि स्वतंत्र गवाह श्री राकेश कुमार मौर्य के पास सुरक्षित रखवाये गये। आरोपीया श्रीमती राजकुमारी पुलिस उप निरीक्षक के दोनो हाथों के धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, जिसमें आरोपीया के दोनो हाथों के धोवन लेने के लिए ट्रेप बॉक्स से दो नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर, बोतल में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उक्त गिलासो में एक-एक प्लास्टिक के चम्मच से सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के तैयारशुदा घोल में आरोपीया श्रीमती राजकुमारी के दांहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमेला हो गया, जिसको हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को मटमेला होना बताया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क R-1 व R-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपीया श्रीमती राजकुमारी एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दूसरे तैयारशुदा सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपीया के बांये हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमेला हो गया, जिसे समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को मटमेला होना बताया, जिसे दो कांच की साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क L-1 व L-2 अंकित कर स्वतंत्र गवाहन, आरोपीया एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात रिश्वती राशि बरामदगी स्थल का धौवन लेने के लिए ट्रेप बॉक्स में से एक नया पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर, बोतल में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उक्त गिलास में एक प्लास्टिक के चम्मच से सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना स्वीकार किया। तदुपरान्त पुलिस उप निरीक्षक के कक्ष में दीवार में बनी खुली अलमारी में रखी दो फाईलों के मध्य जहां से रिश्वत राशि बरामद की गई, को एक सफेद कपड़े की चिंन्दी से रगड़कर उक्त कपड़े की चिंन्दी को तैयारशुदा घोल में डुबोकर धोया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसको हाजरीन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को गुलाबी होना बताया, जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क C-1 व C-2 अंकित किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा रगड़ने हेतु काम में ली गई कपड़े की चिन्दी को सुखकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर चिन्दी को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर कपडे की थैली को शील्डमोहर कर मार्क C अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। मन् टीएलओ द्वारा आरोपीया श्रीमती राजकुमारी द्वारा उपयोग में लिये जा रहे मोबाईल फोन वनप्लस, बरंग हल्का हरा, जिसमें एयरटेल कंपनी की सिम [redacted] लगी हुई है तथा मोबाईल के पासवर्ड 132021 है, को अनुसंधान के प्रयोजनार्थ कब्जा एसीबी लिया गया। तदुपरान्त परिवादी श्री देवीसिंह के विरूद्ध दर्ज प्रकरण की पत्रावली के बारे में आरोपीया श्रीमती राजकुमारी पुलिस उप निरीक्षक से पूछा तो आरोपीया ने अपनी कार्यालय टेबल पर रखी प्रकरण सं. 380/2024 की

पत्रावली प्रस्तुत की जिसका अवलोकन किया गया तो पत्रावली में परिवादी श्री देवीसिंह का दिनांक 19.11.2025 को तैयार किया गया पूछताछ नोट लगा हुआ है जिस पर परिवादी श्री देवीसिंह तथा अनुसंधान अधिकारी श्रीमती राजकुमारी पुलिस उप निरीक्षक के हस्ताक्षर किये हुये है। उक्त मूल पत्रावली की प्रमाणित फोटो एचएम थाना से प्राप्त की गई, जिसमें पेज सं. 01 से 399 तक है। तत्पश्चात आरोपीया श्रीमती राजकुमारी पुलिस उप निरीक्षक के कार्यालय कक्ष की दीवार में बनी खुली अलमारी की उपरी दराज में रखी दो फाईलो के मध्य से बरामद रिश्वती राशि के 500-500 रूपये के 250 नोट कुल राशि 1,25,000/-रूपयो को एक तरफ से सफेद कागज में लपेटकर शील्ड मोहर कर मार्क M अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सूबत कब्जा ए0सी0बी0 लिए गये। अब तक की गई ट्रेप कार्यवाही रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताएं दिनांक 14.11.2025 तथा रिश्वत राशि लेन-देन दिनांक 19.11.2025 को आरोपीया श्रीमती राजकुमारी व परिवादी देवीसिंह के मध्य हुई वार्ताओं के अवलोकन तथा बरामद शुदा रिश्वती राशि 1,25,000/-रूपयो से आरोपीया श्रीमती राजकुमारी पुलिस उप निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री देवीसिंह के विरूद्ध पुलिस थाना गांधी नगर आयुक्तालय जयपुर पूर्व, जयपुर में दर्ज प्रकरण सं. 380/2024 में एफआर लगाने की एवज में रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 14.11.2025 के दौरान आरोपीया श्रीमती राजकुमारी पुलिस उप निरीक्षक द्वारा वैध कार्य के लिए वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारितोषण प्राप्त करने के आशय से परिवादी श्री देवीसिंह पर दबाव बनाकर दो लाख रूपये रिश्वत राशि के रूप में मांग कर 1,25,000 /- रूपये रिश्वत के रूप में लेने का सौदा तय होने पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताएं दिनांक 14.11.2025 के अनुसरण में आज दिनांक 19.11.2025 को रिश्वत लेन-देन के समय परिवादी श्री देवीसिंह से 1,25,000/- रूपये अपने कार्यालय कक्ष की दिवार में बनी खुली अलमारी की उपर की दराज में रखी फाईलो के मध्य रखवाने व बरामद होने के तथ्य पाये जाने से आरोपीया श्रीमती राजकुमारी पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस थाना गांधी नगर आयुक्तालय जयपुर पूर्व के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। आरोपीया श्रीमती राजकुमारी पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस थाना गांधी नगर आयुक्तालय जयपुर पूर्व को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में दिनांक 13.11.2025, 14.11.2025, 17.11.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिकॉर्ड आवाज एवं ट्रेप कार्यवाही रिश्वत राशि लेन-देन दिनांक 19.11.2025 को रिकॉर्ड हुई स्वयं की आवाज के संबंध में अपनी आवाज के नमूना का एफएसएल, जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु पृथक से नोटिस दिया गया जिस पर आरोपीया श्रीमती राजकुमारी ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी देवीसिंह व आरोपीया श्रीमती राजकुमारी पुलिस उप निरीक्षक के मध्य हुई वार्ताओं में आरोपीया द्वारा थाना इन्चार्ज व अन्य का भी रिश्वत राशि में हिस्सा होने संबंधि वार्ताएं हुई थी जिनके बारे में मन् टीएलओ द्वारा आरोपीया श्रीमती राजकुमारी पुलिस उप निरीक्षक से पूछा गया तो उक्त रिश्वत राशि में से इन्चार्ज का हिस्सा होने की बात से इन्कार किया तथा रिश्वत लेन-देन के दौरान भी थाना इन्चार्ज के हिस्से के संबंध में कोई वार्ताएं होना नही पाई गई। इस प्रकार अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से आरोपीया श्रीमती राजकुमारी हाल पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस थाना गांधी नगर आयुक्तालय जयपुर पूर्व के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपीया श्रीमती राजकुमारी पुत्री वीरी सिंह पत्नी विजय कुमार, उम्र 33 साल निवासी बुढवारी खुर्द, खटोटी नदबई जिला भरतपुर हाल प्लाट नं. 201, बृजपुरी, एयरपोर्ट व 7 नम्बर चौराहा के पास, जगतपुरा पुलिस थाना प्रतापनगर जयपुर हाल पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस थाना गांधी नगर आयुक्तालय जयपुर पूर्व, जयपुर को हस्बकायदा जरिये फर्द पृथ्क से गिरफ्तार किया गया। फर्द नमूना शील पृथक से तैयार की गई। प्रकरण के घटनास्थल पुलिस थाना गांधी नगर का नक्शा मौका तैयार किया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आर्टिकल को सीलमोहर करने में एसीबी जयपुर की सील काम में ली गई तथा उपरोक्तानुसार तैयार की गई फर्द हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही होना मानकर सभी ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं व रिश्वत लेन-देन वार्ताओं की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से तैयार की जाकर रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेन-देन वार्ताओं की चार डीवीडीयां क्रमशः A, B, C, व D तैयार की गई, जिनमें डीवीडी मार्क A व B (कंट्रोल सैम्पल मालखाना हेतु) तथा C (एडीपी कॉपी) को पृथक-पृथक सफेद कपड़े की थैलियों में शील्ड किया गया तथा मार्क D को अनुसंधान के प्रयोजनार्थ खुला रखा गया। इसी प्रकार रिश्वत मांग सत्यसपन हेतु काम में लिया गया मैमोरी कार्ड SanDisk 32 जीबी तथा रिश्वत लेन-देन हेतु काम में लिया गया मैमोरी कार्ड SanDisk 32 जीबी को शील्ड मोहर कर मार्क क्रमशः MC व MC-1 अंकित किया गया। उक्त फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन व लेन-देन की पृथक से विस्तृत फर्द तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। अतः आरोपीया श्रीमती राजकुमारी पुत्री वीरी सिंह पत्नी विजय कुमार, उम्र 33 साल निवासी बुढवारी खुर्द, खटोटी नदबई जिला भरतपुर हाल प्लाट नं. 201, बृजपुरी, एयरपोर्ट व 7 नम्बर चौराहा के पास, जगतपुरा पुलिस थाना प्रतापनगर जयपुर हाल पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस थाना गांधी नगर आयुक्तालय जयपुर पूर्व, जयपुर के विरूद्ध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।( नाथूलाल )पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरोजयपुर नगर-तृतीय, जयपुर ............कार्यवाही पुलिस.........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नाथूलाल, पुलिस

निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर-तृतीय जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीया श्रीमती राजकुमारी पुत्री वीरी सिंह पत्नी विजय कुमार, उम्र 33 साल निवासी बुढवारी खुर्द, खटोटी नदबई जिला भरतपुर हाल प्लाट नं. 201, बृजपुरी, एयरपोर्ट व 7 नम्बर चौराहा के पास, जगतपुरा पुलिस थाना प्रतापनगर जयपुर हाल पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस थाना गांधी नगर आयुक्तालय जयपुर पूर्व, जयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नीरज गुरनानी, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नगर प्रथम, जयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 406 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 1762-65 दिनांक 21.11.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-01 जयपुर 2- पुलिस आयुक्त, जयपुर पुलिस आयुक्तालय, जयपुर 3- उप महानिरीक्षक-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

**or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** NEERAJ GURNANI **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)**

**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I
Date: 2 /2025 1 5

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Name(नाम):** Pushpendra Singh Rathore
**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)
**No(सं.):**

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Female | 1992 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ()